न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 102/2022
वाद पत्र अं0 धारा 88,53 आर.टी.ए.

1. मैनादेवी पत्नी स्व. इन्द्राज जाति मेघवाल साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. देवीलाल पुत्र स्व. रामलाल जाति मेघवाल साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

——वादीगण

बनाम

1- जसवन्त पुत्र स्व. इन्द्राज
2- महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. इन्द्राज
3- अमरजीत पुत्र स्व. इन्द्राज
4- कौशल्या देवी पुत्री स्व. इन्द्राज
5- उग्रसेन पुत्र कमला पुत्री रामलाल

सभी जाति मेघवाल साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6- तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

———प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री सुनील कुमार टाण्डी –वकील वादीगण
2. श्रीमती परमजीत कौर –वकील प्रति.सं. 1ता5

निर्णय

दिनांक :–26/7/2022

वादीगण मैनादेवी वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के विरूद्ध यह राजस्व वाद घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक 02.05.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता व वादी सं. 1 के पति इन्द्राज व वादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 4 एम.जे.डी. की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं. 42/36 में ब.हिब. 0.506 है. व प्रतिवादी सं. 5 के नाम से 0.253 है. व चक नं. 9 एन. टी.डब्ल्यू. की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं. 38/32 में ब.हिब. 0.422 है. व प्रतिवादी सं. 5 के नाम से 0.211 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण सं. 3 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की वंशावली को दर्शाया गया है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारानामा के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत आपस में कोई विवाद नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपना उक्त कृशि भूमि में जो भी विरासतन हक व हिस्सा बनता था उसका मौखिक रूप से हक त्याग वादी सं. 1 के पक्ष में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

कर दिया है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 ने अपना उक्त कृषिभूमि में जो भी विरासतन हक व हिस्सा बनता था उसका मौखिक रूप से हक त्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त कृषि भूमि में इस प्रकार वादीगण को घरू ब।अवारानामा में निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

वादीया सं. 1 मैनादेवी के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
4 एम.जे.डी.	42/36	0.759 है.

वादी सं. 2 देवीलाल के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :–

चक नं.	खाता सं.	रकबा
9 एन.टी.डब्ल्यू.	38/32	0.633 है.

वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि में जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है। उक्त कृषि भूमि वादी सं. 1 के ससुर व वादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के दादा व प्रतिवादी सं. 5 के नाना रामलाल से विरासतन में प्राप्त हुई है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारानामा कर लिया है, उक्त बंटवारानामा के अनुसार ही वादीगण वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है। परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 5 व वादी सं. 1 के पति के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा सदैव झगडा होने का अन्देशा बना रहता है, इसी कारण वादीगण उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है। वादीगण को उक्त कृषि भूमि अपने पिता/ससुर रामलाल से विरासतन में प्राप्त हुई थी, जिसमें वादीगण का जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा हो चुका है। व उसी के मुताबिक वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 5 के नाम होने के कारण वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वादीगण अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्तहक व दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार अनुनय विनय किया कि वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण को विरासतन खातेदार काश्तकार मान लेवे व राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि का अमल दरामद वादी के नाम करवा देवे तो प्रतिवादीगण पंहले तो टालमटोल करते रहे परन्तु गत सप्ताह उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 जवाब स्टेट पेश हुआ। जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई जो शामिल मिसल किया गया। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर चक नं. 9 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 38/32 व चक नं. 4 एम.जे.डी. खाता सं. 42/36 की छायाप्रति पेश की। ग्राम पंचायत नाथवाना द्वारा जारी इन्द्राज पुत्र रामलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुआ। जमाबन्दी दस्तावेज EX-1 T0 EX-2 प्रदर्श किये गए। साक्ष्य वादी में वादीया

मैनादेवी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 5 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने सहमति का जवाबदावा पेश किया। वादपत्र में वादीगण द्वारा घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वादी अभिभाषक ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने वादपत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी।

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 9 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 38/32 व चक नं. 4 एम.जे.डी. खाता सं. 42/36 में वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 5 एवं मृतक इन्द्राज के नाम से दर्ज है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश करने पर तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादी सं. 1 के ससुर व वादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के दादा व प्रतिवादी सं. 5 के नाना रामलाल से विरासतन में प्राप्त हुई है। जो कि जमाबन्दी दस्तावेजों से वादीगण साबित करने में सफल रहे है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद वादपत्र सहमति के जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है कि राजस्व तहसील संगरिया के चक वादीया सं. 1 मैनादेवी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :– चक नं. 4 एम.जे.डी. खाता सं. 42/36 रकबा 0.759 है. व वादी सं. 2 देवीलाल के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :– चक नं. 9 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 38/32 रकबा 0.633 है. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रकमराज अलग से कायम किया जावे तथा चक नं. 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 42/36 व चक नं. 9 एन.टी. डब्ल्यू. खाता सं. 38/32 में से वादी सं. 1 के पति इन्द्राज व प्रतिवादी सं. 5 व चक नं. 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 42/36 में से वादी सं. 2 देवीलाल का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/22

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 102/2022

1. मैनादेवी पत्नी स्व. इन्द्राज जाति मेघवाल साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. देवीलाल पुत्र स्व. रामलाल जाति मेघवाल साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

––वादीगण

बनाम

1. जसवन्त पुत्र स्व. इन्द्राज
2. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. इन्द्राज
3. अमरजीत पुत्र स्व. इन्द्राज
4. कौशल्या देवी पुत्री स्व. इन्द्राज
5. उग्रसेन पुत्र कमला पुत्री रामलाल

} सभी जाति मेघवाल साकिन नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टाण्डी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्रीमती परमजीत कौर वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि राजस्व तहसील संगरिया के चक वादीया सं. 1 मैनादेवी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :– चक नं. 9 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 38/32 रकबा 0.633 है. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रकमराज अलग से कायम किया जावे तथा चक नं. 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 42/36 व चक नं. 9 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 38/32 में से वादी सं. 1 के पति इन्द्राज व प्रतिवादी सं. 5 व चक नं. 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 42/36 में से वादी सं. 2 देवीलाल का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

निज..x....निल...x...मुब्लिक..x....निल..x......बाबत..x......निल.100........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....x........को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसबब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/7/2022 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official